

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय)
अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970)

**THE UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE
(SUBORDINATE COURTS) ACT, 1970**

[U.P. Act No. 17 of 1970]

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 9 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी रखने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम
तथा प्रसार

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 137 की उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

अधिनियम
संख्या 5,
1908 की धारा
137 का
संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च-न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी।"

3—दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 367 की उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

अधिनियम
संख्या 5,
1898 की धारा
367 का
संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च-न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी।"

4—उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ० प्र०
अध्यादेश संख्या
4, 1970 का
निरसन

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।